भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 240
दिनांक 02 दिसंबर, 2025 / 11 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र हेतु विशेष अनुदान

†240. श्री बिष्णु पद रायः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के संसद सदस्य ने, केंद्रीय बजट में कमी के आलोक में, सरकार से संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए अवसंरचना के विकास हेतु 5000 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान स्वीकृत करने का औपचारिक अनुरोध किया है, ताकि राज्य, जिला, ग्रामीण, शहरी सड़कों, पुलों, नालियों, पुलियों, पैदल मार्गों, नगरपालिका क्षेत्रों में उच्च नालों के निर्माण और रखरखाव, सुनामी आश्रयों की मरम्मत, जनजातीय समुदायों के लिए नवीकरण कार्यों और नगरपालिका और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे द्वीपसमूह में पेयजल आपूर्ति के लिए बांधों के निर्माण से संबंधित जन शिकायतों का समाधान किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा द्वीपवासियों की उक्त मांग पर की गई कार्रवाई और उन पर विचार करने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): जी, हां। संघ राज्यक्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विभिन्न विभागों की जरूरतों के आधार पर, अपना बजट प्रस्तावित करता है। केंद्र सरकार, पिछले व्यय प्रवृत्ति और भविष्य की जरूरतों के आधार पर, संघ राज्यक्षेत्र को उसके स्थापना एवं विकास खर्च के लिए बजट आवंटित करती है। यह एक नियमित प्रक्रिया है। इसके अलावा, भारत सरकार के अन्य मंत्रालय भी विभिन्न योजनाओं के तहत, बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए, संघ राज्यक्षेत्र को बजटीय सहायता प्रदान करते हैं।

****